सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 08/16 **निर्णय दिनांकः—02.07.2018**

1. रूपाराम पुत्र बख्ताराम जाति मेघवाल निवासी गोकुल तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. लालूराम
2. खमूराम
3. शिवनाथराम
4. मनोहर

पिसरान पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी चक 15 डीओबीबी (गोकुल) तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 06—10—2006

उपस्थितः

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हनुमान गिरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 06—10—2006 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता बख्ताराम पुत्र थानाराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के

पिता के नाम वाके रोही ग्राम गोकुल के खेत खसरा नम्बर 352 में 17. 07 बीघा भूमि शामिल खाते में चली आ रही थी जिसमें अपीलांट क पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का 1/2 —1/2 हिस्सा निहित था। वादगत् भूमि चकबन्दी आने पर चक 15 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 178/06 के किला नम्बर 9 ता 12, 18 ता 24, मुरब्बा नम्बर 178/07 के किला नम्बर 3, मुरब्बा नम्बर 158/62 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 16 में 17 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि गैर खातेदारी पैमूद हुई जिसमें अपीलांट के पिता बख्ताराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा निहित है। उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करते हुए अपीलांट के पिता बख्ताराम पर बिना नोटिस तामील करवाये व बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये गलत तामील को आधार बनाकर वाद डिक्री करवाया गया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अदालत मातहत के समक्ष राज्य पक्ष द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है उसमें भी राज्य सरकार द्वारा वादपत्र को पूर्णतया अस्वीकार किया गया है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट के वाद को स्वीकार करने में कानूनी भूल कारित की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि राजस्व वाद रिकार्ड पर आधारित होते है परन्तु अदालत मातहत मात्र तीन मौखिक गवाहों के बयानों के आधार जोकि संवत् 2012 से 2014 में पैदा ही नहीं हुए थे की गवाही को आधार मानकर वाद डिक्री किया गया है जो स्पष्ट रूप से कानूनी प्रावधानों के विरूद्व है। जबकि वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड से यह साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पिता के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात 1/2—1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर व बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में जो तनकीयात् कायम की गई वे मात्र औपचारिकता पूर्ण व वादीगण/रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने मात्र से कायम करते हुए एकतरफा तौर पर निर्णित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व बिना नोटिस दिये पारित किया गया है ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है क्योंकि दावे में अपीलांट के पिता बख्ताराम को नोटिस तामील हो चुका था। अदालत मातहत द्वारा बाद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट के पिता बख्ताराम के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि समरी बन्दोबस्त संवत् 2012 में केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पिता पूराराम पुत्र बस्ताराम मेघवाल साकिन गोकुल के नाम खसरा न म्बर 472 में रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी। खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 तक राजस्व रिकार्ड में केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पिता का नाम था। खसरा गिरदावरी संवत् 2020 में खसरा नम्बर 352 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा में रेस्पोडेन्ट के पिता पूर्ण वल्द बस्ता अंकित था परन्तु कौम को हटाकर बख्ता बल्द थाना अंकित किया गया है। जो गलत लिखा गया है। वादगत् भूमि संवत् 2012 से निरन्तर आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट के पिता व बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की ढाणी बनी हुई है तथा मौके पर आबाद होकर कब्जा काश्त है। वर्ष 1994 से लगातार पानी की बारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम से बंधी हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने धारा 77 आरटीए एवं 15एएए(2क) के तहत दावा प्रस्तुत कर रिकार्ड दुरूस्ती करवाई गई थी क्योंकि अपीलांट के पिता का नाम गलत तरीके से 1/2 हिस्से में दर्ज कर दी गई थी। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व स्टेट का जवाब दावा लेते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है। जिसमें

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06—10—2006 के विरुद्व अपील दिनांक 15—04—2010 को पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का कथन किया है। चूंकि अपील में मेरिट के तथ्य है इसलिए मियांद पर उदार रुख रखते हुए अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 15एएए(2क) के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त दावा एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का दावा डिक्री किया गया।

(3) मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 के पिता के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये ही वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किये गये है।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि पूर्ण पुत्र बस्ता व बख्ता पुत्र थाना मेधवाल साकिन गोकुल के नाम गैर खातेदारी दर्ज भूमि रही है। तथा कालान्तर में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 लालूराम, खमूराम,

शिवनाथराम व मनोहर पिसरान पूर्णराम के नाम 1/2 हिस्सा व बख्ता पुत्र थाना के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है।

(5) अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य मौजूद होते हुए भी बिना रिकार्ड के अवलोकन किये दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण जहॉ पक्षकारों के मध्य अधिकार तय होने होते है, बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर अपीलांट के हक व हकूकों को समाप्त करते हुए वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना न्याय की दृष्टि से युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

9. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 06—10—2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे दोनों पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

10. निर्णय आज दिनांक 02.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर